न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 74 / 15

महावीर पुत्र श्री नत्थुराम जाति जाट साकिन बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़
2. साधुराम पुत्र श्री नंदाराम जाति नाई साकिन गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट साकिन बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03

निर्णय

दिनांकः 04.09.2019

1. अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही गोविन्दसर के खसरा न. 12 में 25–25 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन किया गया एवं आवंटन से मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पत्रावली पुख्ता आवंटन में यह कह कर पेण्डिंग रख दी गई कि उक्त खसरा न. 12 गोविन्दसर का रकबा रेस्पोडेंट संख्या 02 लाधुराम व उसके भाईयों जगदीश–शिवकुमार पिसरान नन्दराम को पुख्ता आवंटन कर दिया गया है। इसलिए तहसीलदार सूरतगढ़ रोही गोविन्दसर के खसरा न. 12 की विस्तृत रिपोर्ट करे, कि मौके पर किस का कब्जा एवं इस खसरे में कुल रकबा व जिसमें कितना चक प्लान में आया तथा कितना रकबा चक प्लान से बाहर है। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.1991 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें गोविन्दसर के खसरा न. 12 में कुल 202.05 बीघा रकबा बताया जिससे 152.05 बीघा रकबा चक 5 बीकेएस (सुखचैनपुरा पटवार) चला गया । शेष 50 बीघा भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 पर ओम प्रकाश का क्रमशः 25–25 बीघा भूमि पर वैध रूप से कब्जा काश्त है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 02 लाधुराम एवं उसके भाईयों जगदीश–शिवकुमार का कब्जा नही है। उसी तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ ने पेपर पुख्ता आवंटन पर स्थगन आदेश जारी किया एवं अपीलांट एवं अपीलांट के भाई ओमप्रकाश को जगदीश एवं शिवकुमार के आवंटन के विरूद्व अपील की गई जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 30.10.1992 मि0स0 30/92 व 31/92 को अपील स्वीकार कर रिमाण्ड कर दिया गया। आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा रिमाण्ड पत्रावली की सुनवाई की गई तथा रिमाण्ड प्रकरण में आवंटन अधिकारी ने भी दिनांक 27.11.1996 को ग्राम पंचायत की आम सभा की बैठक में मजमे आम में जांच की तो मौका पर चकबन्दी से शेष रही पचास बीघा बरानी पर अपीलांट व अपीलांट के भाई रेस्पोडेंट संख्या 03 ओम प्रकाश का कब्जा काश्त पाया गया। इसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 02 के भाई जगदीश–ओमप्रकाश का आवंटन निरस्त कर दिया गया और उपरोक्त रकबा डी–कॉलोनी हो जाने के कारण अपीलांट व अपीलांट के भाई को नियमानुसार खातेदारी अधिकारों की कार्यवाही कर अपीलांट व अपीलांट के भाई ओम प्रकाश द्वारा डी कॉलोनी के तहत तहसीलदार सूरतगढ़ को खातेदारी के लिए कार्यवाही की गई। अपीलांट व उसके भाई ओमप्रकाश का रोही गोविन्दसर के खसरा न. 12 में 25–25 कुल 50 बीघा पर आवंटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त चल रहा है। मातहत न्यायालय द्वारा बिना कब्जा व मात्र पेपर आवंटी रेस्पोडेंट संख्या 02 को लाधुराम को रोही गोविन्दसर के खसरा न. 12 के 25 बीघा बारानी भूमि की खातेदारी दिनांक 25.05.2015 को खातेदारी क्रमांक 952 जारी कर दी जो नियम विरूद्व होने से खारिज की जावे।

2. अपील संख्या 74/15 पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 02 को सम्मन तामील होने के उपरान्त भी हाजिर नही आने के कारण दिनांक 07.3.2017 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू उपस्थित आये। रेस्पोडेंट संख्या 03 की और से अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह हाजिर हुए । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन कि अपील मीमो ही मेरी बहस है। रेस्पोडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

4. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजों का गंभीरता से अवलोकन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अंदर मियाद स्वीकार की जाती है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 04.06.2008 में भी माना है कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट एवं अपीलांट के भाई ओमप्रकाश (रेस्पोडेन्ट संख्या 3) का कब्जा काश्त है। अतः हम अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार सूरतगढ़ को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 25.05.2015 को निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो तथा नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जावे।

(राजवीर सिंह चौहरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

(राजवीर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़
कोड संख्या-8975
दिनाक

Scanned by CamScanner